तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।

आर0ई0 वाद सं0– 30/2018–19

आवेदिका– सुहागिनी टुड्डू

बनाम

विपक्षी– मोतीलाल महतो उर्फ बेगा नोनिया वगै0

आदेश

11.7.19

आवेदिका सुहागनी टुड्डू, पति– स्व0 दुमीन हेम्ब्रम, सा0–केशाखापड, पो0+थाना–तीनपहाड, जिला–साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किये है। आवेदिका के आवेदन पत्र के अवलोकन से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवही प्रारम्भ की गई, तथा आवेदन में वर्णित बिन्दओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, तथा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गई।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
छोटा तेतुलिया	88	586	01–03–00 धूर

आज आवेदिका उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। फलवस्वरुप आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा छोटा तेतुलिया जमाबंदी न0 88 दाग न0 586 कुल रकवा 01–03–00 जमीन है, जो मेरी दादी करमी हेम्बम के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण बल पूर्वक घर बना रहे है। अैर मना करने पर जान से मारकर फेंक देने की धमकी देते है। उक्त वर्णित जमीन अहस्तान्तरणीय है। विपक्षीगण को आवेदिका की जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नही है। विपक्षीगण जोर–जर्बदस्ती अवैध ढंग से उक्त जमीन पर घर बना रहे है।

अतः आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता नेउकत वर्णित जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किये है।

विपक्षगण आज अनुपस्थित। विपक्षीगण ने दिनांक 15.12.2018 को कारण पूच्छा दाखिल किये है। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कारण पृच्छा दाखिल कर कहा कि आवेदिका को उक्त विवादित जमीन की कोई जानकारी ही नही है। आवेदिका का आरोप झुठा एवं अधारहीन है। आवेदिका जमाबंदी न0 88 का दाग न0 586 की जमीन पर यह विवाद लायी है, जिसमें विपक्षीगण का कोई संबंध नही है। आवेदिका का आवेदन शरारतपूर्ण एवं मनगढंत है। उक्त वर्णित दाग 586 का उभय पक्ष एवं खतियानी रैयत की वंशजों की उपस्थिति में नापी कराना आवश्यक है।

अतः विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदिका द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को खारीज करने का अनुरोध किये है।

अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने पत्र सं0 146/रा0, दिनांक 31.01.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका सुहागिनी टुडू पति दुमीन हेम्ब्रम , सा0–केसाखापड पो0+थाना–तीनपहाड जिला–साहेबगंज के निवासी द्वारा दायर आवेदन के संबंध में स्थल जाँच के क्रम में छोटा तेतुलिया के ग्रामीणों से पूछ–ताछ किया तथा प्रतिवेदित जमीन का रजस्व अभिलेख से मिलान किया। विवरणी निम्न प्रकार हैः–

Scanned with CamScanner

मौजा का नाम	खाता न0	खेसरा न0	रकवा	किस्म	रैयत का नाम
छोटा तेतुलिया	88	577	09–07–11	बाडी दोयम	मसोमात कर्मी हेम्ब्रम पति पाकु टुडू सा0–केसाखापड
		586	01–03–00	बाडी दोयम	
कुल रकवा			10–10–00		

उपरोक्त वर्णित जमीन विगत सर्वे खतियान के अनुसार मसोमात कमी हेम्ब्रम पति पाडु टुडू सा–केसाखापड नाम मूल रुप से दर्ज है। इस विवादित जमीन पर विपक्षीगण का मकान है जो क्रमशः निम्न हैः– जो दाग न0 586 रकवा 01–03–00 धूर आंशिक रकवा में है।

1. मोतीलाल महतो उर्फ बेगा नोनिया पिता–रामलखन महतो सा0–बाबुपुर पे0 तीनपहाड जिला–साहेबगंज का निवासी का पक्का मकान है।
2. फेकन यादव पिता–भटुवा यादव सा0–बाबुपुर पो0–तीनपहाड जिला–साहेबगंज निवासी का मकान मिट्टी का दिवाल एवं छवनी टाली है।
3. राजेन्द्र भारती पिता–शिवानन्द लाल भारती सा0–बाबुपुर, पो0–तीनपहाड मकान, पक्का का चार दिवाली एवं मकान बना है।
4. कार्तिक सिंह, पिता–ललन सिंह सा0–बाबुपुर तीनपहाड का मकान इटा टाली का बना हुआ है।

उपरोक्त मौजा प्रधानी मौजा है। विपक्षीगण के द्वारा जमीन संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्ततु नही किये है। ऐसी परिस्थिति में उच्छेदी वाद का कार्यवाही किया जा सकता है।

आवेदिका की ओर से अपने समर्थन में लगान रसीद एवं बंगला लिपि में खतियान स्पील की छाया प्रति दाखिल की गई।

विपक्षीगण के द्वारा किसी भी प्रकार का कागजात दाखिल नही किया है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उभय पक्षों के आवेदन एवं कारणपृच्छा तथ अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद के मौलिक तथ्यों पर सभी पक्षों के कथन में भिन्नता है। अतः अंचल अधिकारी, राजमहल को निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित पक्षों की उपस्थिति में विवादित भूखण्ड़ की नापी सरकारी अमीन से कराते हुए प्रतिवेदित करेंगें।

आदेश की प्रतिअंचल अधिकारी, राजमहल को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

ज्ञापांक 392/
दिनांक 12.8.1

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner